क्रम-संख्या—(ख-3)

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी०/एल०—
डब्लू०/एन०पी०—91/2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 1 सितम्बर, 2018

भाद्रपद 10, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1868/79-वि-1—18-1(क) 15-18

लखनऊ, 1 सितम्बर, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2018 पर दिनांक 1 सितम्बर, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष से निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 23 जुलाई, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

CamScanner

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1993 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (ङ) के स्थान निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(ङ) शारीरिक निःशक्तता का तात्पर्य उन निःशक्तताओं से है जो इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।"

धारा 3 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) में खण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(दो) ऐसी लोक सेवाओं और पदों में, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, अभिज्ञात करें, प्रत्येक समूह के पदों में संवर्ग सदस्य संख्या में कुल रिक्तियों की संख्या का अन्यून चार प्रतिशत, सदर्भित निःशक्त व्यक्तियों से भरा जाना तात्पर्यित है जिसमें से एक–एक प्रतिशत, खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए और एक प्रतिशत खण्ड (घ) और (ङ) के अधीन संदर्भित निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जायेगा, अर्थात्:–

(क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि;

(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास;

(ग) प्रमस्तिष्कीय अंग धात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता;

(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अंस्वस्थता;

(ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहुनिःशक्तता, जिसके अंतर्गत प्रत्येक निःशक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर–अंधता सम्मिलित है."

अनुसूची का बढ़ाया जाना

4–मूल अधिनियम में निम्नलिखित अनुसूची अंत में बढ़ा दी जायेगी।

"अनुसूची

धारा 2 का खंड (ङ) देखें

विनिर्दिष्ट शारीरिक निःशक्तता

1–शारीरिक निःशक्तता:–

क–चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता (व्यक्ति की विशिष्ट गतिविधियों को करने में असमर्थता, जो स्वयं और वस्तुओं के चालन से सहबद्ध है जिसका परिणाम पेशीकंकाली या तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ा है), जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है:–

(क) "कुष्ठ उपचारित व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कुष्ठ से उपचारित है किन्तु निम्नलिखित से पीड़ित है ,–

(एक) हाथ या पैरों में संवेदना का ह्रास के साथ साथ ऑख और पलक में संवेदना का ह्रास और आंशिक घात किन्तु व्यक्त विरुपता नहीं है;

(दो) व्यक्त विरुपता और आंशिक घात किन्तु अपने हाथों और पैरों में पर्याप्त चलन से सामान्य आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहने के लिए सक्षम है;

(तीन) अत्यन्त शारीरिक विकृति के साथ–साथ वृद्धावस्था, जो उन्हें कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है और पद "कुष्ठ व्यक्ति" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ख) "प्रमस्तिष्क धात" का तात्पर्य अविकासशील तन्त्रिका सम्बन्धी अवस्थाओं के किसी समूह से है जो शरीर के चलन और पेशियों के समन्वयन को प्रभावित करती हैं, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है, साधारणः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरन्त पश्चात होती है;

(ग) "बौनापन" का तात्पर्य किसी चिकित्सीय या आनुवांशिक दशा से है जिसके परिणाम स्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की ऊँचाई चार फीट दस इंच (147 से.मी.) या उससे न्यून रह जाती है;

(घ) "ऐसी दुष्पोषण" का तात्पर्य वंशानुगत, आनुवांशिक पेशी रोग के किसी समूह से है जो मानव शरीर को सचल करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है और बहुदुष्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है, जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है जिसकी उन्हें स्वास्थ्य पेशियों के लिए आवश्यकता होती है। इसकी विशेषता अनुक्रमिक अस्थिपंजर, पेशी की कमजोरी, पेशी प्रोटीनों में त्रुटियां और पेशी कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु है;

(ङ) "अम्ल आक्रमण पीड़ित" का तात्पर्य अम्ल या समान संक्षारित पदार्थ फेंकने के द्वारा हिंसक आक्रमण के कारण विरुपित किसी व्यक्ति से है।

ख–दृष्टि ह्रास–

(क) "अंधता" का तात्पर्य ऐसी दशा से है जहाँ सर्वोत्तम सुधार के पश्चात् किसी व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान होती है,–

(एक) दृष्टि का पूर्णतया अभाव; या

(दो) सर्वोत्तम सम्भव सुधार के साथ अच्छी आँख दृष्टि संवेदनशीलता 3/60 या 10/200 (स्नेलन) से अन्यून; या

(तीन) 10 डिग्री से कम किसी कक्षांतरित कोण पर दृश्य क्षेत्र की परिसीमा;

(ख) "निम्न दृष्टि" का तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है, अर्थात्:–

(एक) बेहतर आंख में सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ–साथ 6/18 से अनधिक या 20/60 से कम 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) दृश्य संवेदनशीलता; या

(दो) 40 डिग्री से कम 10 डिग्री तक की दृष्टि अंतरित किसी कोण के क्षेत्र की सीमाएं।

ग–श्रवण शक्ति का ह्रास –

(क) "बधिर" का तात्पर्य दोनों कानों में संवाद आवृतियों से 70 डिसबिल श्रव्य ह्रास वाले व्यक्तियों से है ;

(ख) "ऊँचा सुनने वाले व्यक्ति" का तात्पर्य दोनों कानों से संवाद आवृतियों में 60 डिसबिल से 70 डिसबिल श्रव्य ह्रास वाले व्यक्ति से है।

घ–"अभिवाक् और भाषा निःशक्तता" का तात्पर्य लेराइनजेक्टोमी या अफेसिया जैसी स्थितियों से उदभूत होने वाली स्थायी निःशक्तता से है, जो कार्बनिक या तंत्रिका सम्बन्धी कारणों से अभिवाक् और भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है।

2–"बौद्धिक निःशक्तता" ऐसी स्थिति है, जिसकी विशेषता दोनों बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या समाधान) और अनुकूलन व्यवहार में महत्वपूर्ण रूप से कमी होना है, जिसके अंतर्गत दैनिक सामाजिक और व्यवहारिक कौशल श्रृंखला आच्छादित है, जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट है :–

(क) "विनिर्दिष्ट विद्या निःशक्तता" का तात्पर्य स्थितियों के किसी ऐसे विजातीय समूह से है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने का प्रसंस्करण करने की कमी विद्यमान होती है है जो बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी करने या गणितीय गणनाओं को समझाने में कमी के रूप में सामने आती है और इसके अंतर्गत ऐसी स्थितियां सम्मिलित है यथा–बोधक निःशक्तता, डायसेलेक्सिया, डायसग्राफिया, डायसकेलकुलिया, डायसप्रेसिया और विकासात्मक अफेसिया भी सम्मिलित है;

(ख) "स्वलीनता स्पैक्ट्रम विकार" का तात्पर्य किसी ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति से है जो आमतौर पर जीवन के प्रथम तीन वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति की संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को प्रभावित करती है और प्रायः यह असामान्य या घिसे–पिटे कर्मकांडों या व्यवहारों से सहबद्ध होता है।

3–मानसिक व्यवहार–

"मानसिक रूग्णता" का तात्पर्य चिंतन, मनोदशा, बोध, पूर्वाभिमुखीकरण या स्मरणशक्ति के सारभूत विकार से है जो जीवन की सामान्य मांगो को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने

CamScanner

की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किन्तु जिसके अंतर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मास्तिष्क का विकास रूकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिसकी विशिष्टता, बुद्धिमता का सामान्य से कम होना है।

4–निम्नलिखित के कारण निःशक्तता–

(क) चिरकारी तंत्रिका दशाएं जैसे,–

(एक) "बहु–स्केलेरोसिस" का तात्पर्य प्रवाहक, तंत्रिका प्रणाली रोग से है, जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के चारों ओर रीढ़ की हड्डी की मायलिन सीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे डिमायीलिनेशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक–दूसरे के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है,

(दो) "पार्किंसन रोग" का तात्पर्य तंत्रिका प्रणाली के किसी प्रगामी रोग से है, जिसके द्वारा कम्प, पेशी, कठोरता और धीमा, कठिन चलन, मुख्यतया मध्य आयु वाले और वृद्ध लोगों से सम्बंधित मस्तिष्क के आधारीय गंडिका के अद्यपतन तथा तंत्रिका संचलन डोपामाइन के ह्रास से संबद्ध हो।

(ख) रक्त विकृति,–

(एक) "हेमोफीलिया" का तात्पर्य किसी आनुवंशकीय रोग से है जो प्रायः पुरूषों को ही प्रभावित करता है किन्तु इसे महिला द्वारा अपने पुरूष बालकों को संप्रेषित किया जाता है, इसकी विशेषता रक्त के थक्का जमने की साधारण क्षमता का नुकसान होना है जिससे गौण घाव का परिणाम भी घातक रक्तस्राव हो सकता है;

(दो) "थेलेसीमिया" का तात्पर्य वंशानुगत विकृतियों के किसी समूह से है जिसकी विशेषता हिमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थिति है;

(तीन) "सिक्कल कोशिका रोग" का तात्पर्य होमोलेटिक विकार से है जो रक्त की अत्यंत कमी, पीड़ादायक घटनाओं, और जो सहबद्ध टिशुओं और अंगों को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं में परिलक्षित होता है;

स्पष्टीकरण–"हेमोलेटिक", लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के नुकसान को निर्दिष्ट करता है जिसका परिणाम हिमोग्लोबिन का निकलना होता है।

5–बधिरता, अंधता सहित बहुनिःशक्तता (ऊपर विनिर्दिष्ट एक या एक से अधिक निःशक्तता) का तात्पर्य ऐसी किसी दशा से है जिसमें किसी व्यक्ति को श्रव्य और दृश्य का सम्मिलित ह्रास हो सकता है जिसके कारण संप्रेषण, विकास और शिक्षण संबंधी गंभीर समस्यायें होती है।

6–कोई अन्य श्रेणी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।"

निरसन और अपवाद — **उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2018**

5–(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2018 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

———

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993, शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संगाम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में पदों के आरक्षण का उपबन्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ङ) में शब्द "शारीरिक रूप से विकलांग" परिभाषित किये गये है और उक्त अधिनियम की

धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (दो) में यह उपबन्ध है कि राज्य के मामलों से सम्बन्धित लोक सेवाओं और पदों में, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक (क) दृष्टिहीनता और कम दृष्टि, (ख) श्रवण शक्ति में ह्रास, और (ग) चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्क घात से पीड़ित व्यक्तियों के लिए एक प्रतिशत रिक्तियाँ अभिज्ञानित कर सकती है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 भारत सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया है जिसमें शब्द "दिव्यांगजन" परिभाषित किए गए है।

दिव्यांगजनों से सम्बन्धित उक्त केन्द्रीय अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप उक्त अधिनियम में उपबन्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नही था और पूर्वोक्त विनिश्चय को लागू करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 जुलाई, 2018 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा, (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2018) प्रख्यापित किया गया है।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 1868(2)/LXXIX-V-1-18-1(ka)15-18

Dated Lucknow, September 1, 2018

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva (Sharirik Roop Se Viklang, Swatantrata Sangram Senaniyon Ke Ashrit Aur Bhootpurva Sainikon Ke Liye Arakshan) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 32 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 1, 2018 :–

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR PHYSICALLY HANDICAPPED, DEPENDANTS OF FREEDOM FIGHTERS AND EX-SERVICEMEN) (AMENDMENT) ACT, 2018

(U.P. ACT NO. 32 OF 2018)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependants of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependants of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) (Amendment) Act, 2018. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on July 23, 2018.

CamScanner